

डिक्री व मुकदमें ईक्टदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 75/2025

निधी पुत्री श्री सुरेन्द्र जाखड़ जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

- वादीया

1. सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्रपाल पुत्र श्री सुलतान जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सतोष पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

बहु राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू करके नहरी श्री महावीर बरेड़ वकील वादीया मिन जाकिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हुए हक-त्याग के संबंध में नियमानुसार न्याय ड्यूटी राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एच.आर.पी. के खाता सं. 143/6 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.998 है. कृषि भूमि का वादीया को खातेदार काफ्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादीया के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एस.टी.पी. के खाता सं. 170/111 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 4.478 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 1.948 है. कृषि भूमि की खातेदार काफ्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्रपाल के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार अंकित किया जाकर निम्नानुसार खाता अलग से कायम किया जावे :-

- (क) वादीया निधी पुत्री श्री सुरेन्द्र जाखड़ जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाफ्त की कृषि भूमि :-
चक 3 एच.आर.पी. खाता सं. 143/6 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75
- | प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|--------------------------------------|
| 198/113 | 41 | 2,9,10/0.253 है.प्र., 15/2/0.025 है. |
| 199/112 | 34 | 16,17,18/0.253 है.प्र. |
| 200/112 | 35 | 21/0.253 है. |
| 200/113 | 39 | 2/1/0.177 है., 2/3/0.025 है. |
- (ख) नहरी 1.948 है., गै.मु. रास्ता 0.050 है., कुल 1.998 है. मय गै.मु. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुलतान जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाफ्त की कृषि भूमि :-
चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 170/111 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
- | प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|--|
| 186/118 | 15 | 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,18,19/0.253 है.प्र. |
| 187/118 | 16 | 21/0.253 है. |
| 190/122 | 58 | 21/1/0.215 है., 21/2/0.038 है., 22,23/0.253 है.प्र. |
| 190/123 | 63 | 1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है., 2/0.253 है. |
- मुमकिन 2.429 है., गै.मु. 0.101 है., कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादीया सं 2 संतोष पत्नी श्री सुरेन्द्र जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) के एक हिस्सा व कब्जाकाफ्त की कृषि भूमि :-
प्लॉट 2 एस.टी.पी. खाता सं. 170/111 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प्लॉट नं.	मु.नं.	कि.नं.
185/119	28	16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,18,19,20/0.253 है.प्र., 21/1/0.215 है., 21/2/0.038 है., 22/1/0.215 है., 22/2/0.038 है.
186/119	27	11/1/0.177 है. मुमकिन 1.847 है., गै.मु. 0.101 है., कुल 1.948 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

नोट :- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बावत् निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह
कीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक अदा करें।

बसवत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1.4.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया